न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री सत्यवीर यादव
आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :— 41/2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू.अ. कोटपूतली जिला जयपुर

अपीलान्ट

बनाम

1. चेतराम उर्फ चेतन प्रकाश पुत्र भोजराज
2. वासुदेव पुत्र भोजराज
3. नरेश पुत्र भोजराज
4. नरेन्द्र उर्फ हंसराज पुत्र भोजराज
5. कैलाश पुत्र रामरतन
6. मेवा देवी पत्नी भोजराज
7. ओमप्रकाश पुत्र भोजराज
8. सुभाष पुत्र भोजराज
9. सन्तोष पुत्र भोजराज
10. लाली पुत्री भोजराज
11. सुनिता पुत्री भोजराज
12. अनिल पुत्र शिम्भूदयाल
13. कृष्णा पत्नी शिम्भूदयाल

समस्त कौम गुर्जर निवासी ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 447 मौजा बासडी पर पारित निर्णय दिनांक 25/3/2015 के विरूद्ध

निर्णय

दिनांक 19.12.18

नामान्तरकरण संख्या 447 मौजा बासडी निर्णय 25/3/2015 के विरूद्ध अपील अपीलान्ट द्वारा निम्न भांति प्रस्तुत की है।

1. यह है कि ग्राम बासडी के आ.ख.नं. 313, 314, 315, 318, 319, 316, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 393, 394, 395, 332, 390 माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, कोटपूतली के आदेश की अनुपालना में उक्त भूमि को सिलिंग में मानते हुए सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये थे। जिसकी अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 447 मौजा बासडी उक्त भूमि को सिवायचक भूमि दर्ज किया गया था।
2. यह है कि उक्त प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन होता हुआ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन रहा जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी याचिका संख्या 5184/1999 में दिनांक 30/6/2014 को निर्णय पारित किया तथा आदेशित किया कि निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/10/1999 एवं उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा पारित आदेश 07/10/99, 30/9/99 व 28/5/2014 को निरस्त किया जाता है उपखण्ड अधिकारी को प्रकरण प्रति प्रेषित करते हुए निर्दिशत किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 226/2008 उनवानी रामनारायण व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में दिनांक 5/5/2014 को पारित निर्णय के परिपेक्ष में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा 14 पर विधिवत रूप से भूमि की गणना करते हुए विस्तृत एवं स्पष्ट [illegible]

बासडी को अपास्त कर प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जो नियम विरूद्व है। जबकि इस तरह निर्णय पारित करने की अधिकारिता नहीं थी प्रकरण को केवल रिमाण्ड किया गया था रिमाण्ड प्रकरण पर इस तरह निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण पर पारित आदेश दिनांक 25/3/2015 विधि सम्मत नहीं है।

4. यह है कि प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्थान मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों बाबत उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु प्रकरण श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जयपुर को भिजवाया गया है, जो मार्गदर्शन आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रकरण अपील नो अपील एवं मार्गदर्शन में विचाराधीन होने पर उक्त नामान्तरकरण संख्या 447 मौजा बासडी पर पारित आदेश दिनांक 25/3/2015 विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।
5. यह है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में भूमि सिवायचक नहीं होकर प्रतिवादीगण की खातेदारी में अंकित है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है।
6. यह है कि तत्कालीन नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश तथ्यों के विपरीत एवं राजस्व रिकॉर्ड के विरूद्व निर्णय पारित किया है, जो अपास्त योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 447 वाके मौजा बासडी पर तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25/3/2015 को अपास्त कर हाल आ.ख.नं. 313, 314, 318, 319, 316, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 393, 394, 395, 332, 390 को राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

7. यह है कि प्रकरण में रिपोर्ट सरिस्ता ली गयी प्रकरण समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज दजस्टिर कराया जाकर रेस्पोडेन्टस की विधिवत तल्वी करायी गयी बाद तामील होने पर रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री जितेन्द्र रावत एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा बिना जवाब पेश किये सीधी लिखित बहस पेश की गयी जिसे संलग्न पत्रावली किया गया।
8. यह है कि प्रकरण में अपीलान्ट को दस्तावेजात् पेश करने एवं बहस के लिए अवसर चाहे जाने पर अवसर प्रदान किया जाकर अन्तिम अवसर दिया गया है। उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।
9. अपीलान्ट पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपील में वर्णित खसरा नम्बरान् वाके मौजा बासडी माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के आदेशों की अनुपालना में भूमि को सिलिंग में मानते हुए सिवायचक में दर्ज करने के आदेश प्रदान हुए थे जिसकी अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 447 मौजा बासडी से सिवायचक भूमि दर्ज की गयी थी प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन होता हुआ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन रहा जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा याचिका संख्या 5184/1999 में निर्णय पारित कर निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/10/1999 एवं उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा पारित आदेश 07/10/99, 30/9/99 व 28/5/2014 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेश दिये गये कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 226/2008 उनवानी रामनारायण वगैरह बनाम राजस्थान स्टेट वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 05/5/2014 के परिपक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 पर विविवत रूप से गणना करते हुए विस्तृत एवं स्व–स्पष्ट तथा गणना सारिणी को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करें इस प्रकार माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया था जिसका निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा किया जाना था । माननीय राजस्व मण्डल की आड में तत्कालीन नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 447 वाके मौजा बासडी को अपास्त कर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जो नियम विरूद्व है। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 447 मौजा बासडी पर पारित आदेश 25/3/2015 विधि सम्मत नहीं है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों के बाबत उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु प्रकरण श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, जयपुर को भिजवाया गया है जो आज दिनांक तक मार्गदर्शन प्राप्त हीं हुआ है। इस प्रकार प्ररकण नो अपील एवं मार्गदर्शन में विचाराधीन होने पर उक्त नामान्तरकरण पर पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। वर्तमान में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट

कलक्टर
(जयपुर)

के नाम खातेदारी भूमि अंकित है। उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः नामान्तरकरण संख्या 447 मौजा बासडी पर पारित निर्णय 25/3/2015 को अपासत कर हाल खसरा नम्बर 313, 314, 315, 318, 319, 316, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 393, 394, 395, 332, 390 को राजकीय सिवाचयक भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

10. वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के बिन्दुओं को दौहराते हुए कथन किया कि अपील में वर्णित खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा आदेश दिनांक 07/10/1999, 30/9/1999 की पालना में उक्त भूमि को सिलिंग कार्यवाही में निर्धारित सीमा से अधिक पायी जाने पर राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश हुये थे जिसका नामान्तरकरण 447 वाके मौजा बासडी से सिवायचक दर्ज हुयी थी । उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां निगरानी संख्या 5184/1999 प्रस्तुत की गयी, जिसमें निर्णय 30/6/2014 पारित किया गया कि याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश 07/10/99 व उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा पारित आदेश 07/10/1999, 30/9/1999 व 28/5/2014 को निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेश दिये कि माननीय उच्च न्यायालय रिठ याचिका संख्या 226/2008 उनवानी रामनारायण वगैरह बनाम राजस्थान स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 05/5/2014 के परिपेक्ष में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 पर भूमि की गणना करते हुए गणना सारिणी को ध्यान में रखते हुये निर्णय पारित किया जावें। इस निर्देश से प्ररकण उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के यहां से निस्तारण होना था पूर्व में पारित निर्णयों के अपास्त होने पर उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की भांति रेस्पोडेन्टस के नाम बतौर खातेदारी दर्ज किये गये थे। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रेस्पोडेन्ट का मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने पर प्रकरण सुनवायी हेतु उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना स्थानान्तरण किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने प्रार्थना–पत्र संख्या 42/2014 बी.टी. नं. 403/2016 के अपने निर्णय 10/10/2016 में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 पर अधिकतम सीमा अधिनियम 1973 के अन्तर्गत गणितीय अनियमितता हो जाने से असेसी की भूमि सिलिंग ऐरिया से कम होना पायी गयी अर्थात उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा उक्त भूमि का कब्जे राज लिया जाना गलत माना गया। लेकिन प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा सिलिंग कार्यवाही को ड्रोप नहीं किया। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 7294/2016 ब उनवान चेतराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत की, जिसमें अपने निर्णय 13/10/2017 के द्वारा निगरानी स्वीकार कर प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अमेसी के धारण में सिलिंग सीमा से कम भूमि होना पाये जाने पर सिलिंग प्रकरण 71/1975 समाप्त किया गया अर्थात अपील में वर्णित आराजी को सिलिंग सीमा से अधिक नहीं मानकर प्रार्थी/रेस्पोडेन्टस चेतराम वगैरह की खातेदारी काश्त की भूमि बहाल रखी गयी है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या 447 वाके मौजा बासडी पर पारित निर्णय 25/3/2015 के विरूद्व यह अपील मियाद बाहर होने पर पेश की है, जो अपील प्रथम द्रष्टया खारिज योग्य है। स्वयं अपीलान्ट तहसीलदार कोटपूतली द्वारा उक्त अपील में वर्णित आराजियात् में नामान्तरकरण संख्या 2980 दिनांक 24/8/2018 तस्दीक किया गया है। इस नामान्तरकरण से पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में की गयी पृविष्टियों की मौन स्वीकृति प्रदान की गयी है। यानि की पूर्व की सभी पृविष्टियों को सही मानकर नामान्तरकरण संख्या 2980 अपीलान्ट द्वारा स्वयं तस्दीक किया है। ऐसी स्थिति में भी अपील प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है। अपील में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में मु.नं. 158/2017 निर्णय दिनांक 31/8/2018 को किया गया है, जिसमें स्वयं अपीलान्ट तहसीलदार कोटपूतली [illegible] खातेदारी बाबत कोई आपत्ति माननीय न्यायालय के समक्ष [illegible] ऐसी स्थिति में अपील में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में [illegible] गयी पृविष्टि को चुनौती देने का अधिकार [illegible] अपील में वर्णित आराजी [illegible] कृषिक प्रयोजन के लिए [illegible] सहमति दी है तथा [illegible]

है। इसके अलावा वकील रेस्पोटेन्ट द्वारा यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अपील में आधार लिया है कि उक्त अपील में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 447 को नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपास्त किया गया है तथा उन्हें अपास्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि नायब तहसीलदार कोटपूतली ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई नया नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया है बल्कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में नोट संख्या 6 अंकित किया है, जिसे अंकित करने का अधिकार नायब तहसीलदार कोटपूतली को था। उन्होंने न्यायालय की निर्णय की अनुपालना में विधि पूर्ण नोट अंकित कर राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति बहाल करने की कार्यवाही की है जो शुरू से ही विधि पूर्ण है तथा अपील में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट तहसीलदार कोटपूतली स्वयं को भी तथा प्रत्येक न्यायालय में पारित निर्णयों में वे पक्षकार के रूप में उपस्थित थे तथा उनकी उपस्थिति में व उनको सुनकर निर्णय पारित किये गये है। इस कारण से उक्त अपील मियाद बाहर पेश की गयी है, जो काबिले खारिज है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमावें।

11. हमने उभय पक्षों की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 में नोट संख्या 6 दिनांक 25/3/2015 के द्वारा श्रीमान् राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 30/6/2014 की पालना में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/10/99 व उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 07/10/1999, 30/9/1999 व 28/5/2014 को निरस्त किये जाने से नामान्तरकरण संख्या 447 को निरस्त किया जाना तथा ख.नं. 313, 314, 315 चेतराम पुत्र भोजराज जाति गुर्जर सा. देह व ख.नं. 316, 318, 319 रामनारायण पुत्र गोदाराम जाति गुर्जर सा. देह व ख.नं. 383, 384, 385, 386, 387, 388 शिम्भू पुत्र भोजराज जाति गुर्जर सा. देह व ख.नं. 389, 393, 394, 395 वासुदेव नरेश पिता भोजराज जाति गुर्जर सा. देह व ख.नं. 332/1 नरेन्द्र पुत्र भोजराज जाति गुर्जर सा. देह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गयी तथा ख.नं. 390 के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के आदेश 05/7/2004 डिक्री आदेश हो जाने से ख.नं. 390 कैलाश पुत्र रामरतन जाति गुर्जर सा. दे हके नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाना अंकित है। इससे पूर्व अपील में वर्णित खसरा नम्बरान् बाबत नामान्तरकरण संख्या 447 वाके मौजा बासडी राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी । उक्त नामान्तरकरण संख्या 447 वाके मौजा बासडी को नायब तहसीलदार कोटपूलती द्वारा अपास्त किया गया है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई नया नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया है। बल्कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय की पालना में नोट संख्या 6 अंकित किया है। उक्त नोट अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की स्थिति बहाल करने की कार्यवाही की है जो विधि पूर्ण है अपील में वर्णित आराजी सीमा अन्तर्गत धारा 14 पर भूमि कम पायी गयी, जिसके सम्बन्ध में न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय अनुसार रेस्पोडेन्ट के विरूद्व सिलिंग कार्यवाही ड्रोप की गयी। वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया है कि माननीय राजस्व न्यायालय अजमेर से सिलिंग की कार्यवाही ड्रोप हो चुकी है तथा विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में तहसीलदार कोटपूतली पक्षकार रह चुके है, मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2061 में नामान्तरकरण संख्या 2980 दिनांक 24/8/2018 को विरासत का नामान्तरकरण खोला गया है। ऐसी स्थिति में अपील में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में राजस्व रिकॉर्ड में की गयी पृविष्टी को चुनौती देने का अधिकार अपीलान्ट तहसीलदार को नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अपील चलने योग्य नहीं है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

13. निर्णय आज दिनांक 19.12.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)